कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
(शासकीय स्वशासी संस्था)
कार्यालय दूरभाष नंबर – 0731–2527383, ई–मेल –dean.ind@mp.gov.in

क्रमांक / 3629 / SS/SR. / 2024 इन्दौर, दि. 01/03/24

// नोटिस //

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र पृ.कं / एफ 2–42 / 07 / 1 / 55 / भोपाल दिनांक 17.12.2021 एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र पृ.कं / एफ 2–15 / 2022 / 1 / 55 भोपाल दिनांक 04.03.2022 एवं पृ.कं / 242 / 2007 / 1 / 55 पार्ट भोपाल दिनांक 12.01.2024 के द्वारा शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में सीनियर रेसीडेन्ट (SR) के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारुप में वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित (समस्त रिक्त पदों की पूर्ति होने तक) किए जाते हैः–

सीनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु. 80,811 / – प्रतिमाह)

DEPARTMENT	TOTAL POST	UR	ST	SC	OBC	EWS
PSYCHIATRY	01	1	-	-	-	-
OPHTHALMOLOGY	01	-	-	-	1	-
TOTAL	2	1	-	-	1	-

नोटः– इच्छुक अभ्यार्थी आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति, 01 फोटो एवं निर्धारित शुल्क जमा कर उसकी रसीद की कॉपी संलग्न करें। आवेदक स्कुटनी हेतु दिनांक 05-03-2024 को प्रातः 11:00 बजे से 01:00 बजे तक महाविद्यालय के ऑडिटोरियम मे पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें एवं स्कुटनी पश्चात साक्षात्कार दिनांक 05-03-2024 समय 2:30 बजे आयोजित किया जावेगा।

साक्षात्कार हेतु आवेदक आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश कमांक के प्रावधान अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देगें। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोडने की स्थिति से ग्रामीण / अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्ते लागू हो जाएगीं और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, इन्दौर

वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्ते।

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है।
4. सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नही मिलते है तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नही हो जाता।
6. अवधि : सीनियर रेसीडेन्ट्स की सेवा–अवधि (Tenure) एक वर्ष की होगी। इनकी प्रथमः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने एवं आश्यकता अनुसार 01–01 वर्ष हेतु समय बढाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढाई जाएगी।
7. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस. / एम.डी. / एम.एस. / डीएनबी सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अकों , अनुभव, अतिरिक्त योग्यता एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी ।
8. आवेदन शुल्क : सीनियर रेसीडेन्ट्स / जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अभ्यार्थियों को अपने आवेदन के साथ रु 600 / – (छः सौ) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को रु. 300 / – (तीन सौ)। राशि का भुगतान R.T.G.S. (DEAN MGM MEDICAL COLLEGE, INDORE BANK ACCOUNT NO – 53003590071 IFSC CODE NO – SBIN0030359) के माध्यम से करते हुए भुगतान की रसीद आवेदन के साथ संलग्न करे। किसी भी अवस्था मे राशि लौटायी नही जावेगी ।
9. शैक्षणिक योग्यताः– अन्य संबधित विषय में एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी परीक्षा उत्तीर्ण ।

- सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनॉक से पिछले पॉच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे ही इस पद के लिये पात्र होगें। जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

संबंधित विषय में एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस./ डीएनबी । सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नही होगी। जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनॉक से पिछले पॉच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./ डीएनबी परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे ही इस पद के लिये पात्र होगें। जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

10. यात्रा भत्ता :– साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नही दिया जावेगा।
11. आयु सीमा–साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।

अन्य शर्ते :

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्टस से संबंधित, सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति /त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
8. सीनियर रेसीडेन्ट के4 पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान / सी.एम.ओ. ड्यूटी परकार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
9. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज असत्य पाए जाते है अथवा यदि कोई चयनित उम्मीदवार बिना सूचना के अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे सेवा से पृथक करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास रहेगा।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉं प्रस्तुत करनी होगी।

(डॉ. संजय दीक्षित)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, इन्दौर

इन्दौर, दि

क्रमाक / /SS/SR./2024

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. विभागाध्यक्ष, मनोरोग विभाग/नेत्र विभाग को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
3. समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/म.य.चिकित्सालय/छात्रावास/लायब्रेरी।

(डॉ. संजय दीक्षित)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, इन्दौर